भारतीय बैक एवं एएनआर

बनाम

ए. वेंकन्टनरमनी

अगस्त 30, 2007

(एस.बी. सिन्हा एवं हरजीत सिंह बेंदी, जे.जे.)

सेवा विधि -भारतीय बैंक कर्मचारियों के विनियमन, 1995-विनियम 18 और 28 स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के अन्तर्गत पेंशन के परिलाभ-पेंशन प्राप्त करने के लिए अर्हंकारी योग्य सेवा अवधि 15 वर्ष -विनियम 18 प्रावधान करता है यदि सेवा की अवधि में खंडित सेवा अवधि शामिल की हो जो कि 1 वर्ष से कम परन्तु 6 माह से अधिक हो, ऐसी खंड़ित अवधि को एक वर्ष की सेवा अवधि माना जाएगा- कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृति के समय 14 वर्ष 9 माह की सेवा पूर्ण की थी-उसका पेंशन का दावा इस आधार पर ठुकरा दिया गया कि उसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की-उच्च न्यायालय ने फिर भी कर्मचारी के दावे को स्वीकार किया-हस्तक्षेप के साथ - अभिनिर्धारित-अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत हस्तक्षेप के लिए मामला नहीं बनता है-विनियम 18 तो खंडित अवधि की मापन नियम का प्रावधान करता है, जो अर्हंक सेवा प्रदान करने वाले विनिमय से नियन्त्रित नहीं किया गया है -यह किसी भी सिमित निर्वचन को अनुमत नहीं करता-

लाभकारी प्रकृति के प्रावधानों की उदार व्याख्या की जानी चाहिए-संविधियों की व्याख्या, भारतीय संविधान, 1950 अनुच्छेद-136।

प्रत्यर्थी कर्मचारी ने अपीलांट बैक द्वारा जारी स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृति ली। उस समय तक, प्रत्यर्थी ने 14 वर्ष 9 माह और 17 दिन की सेवा पूर्ण की थी। उसने स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के अन्तर्गत पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उसका प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी ने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की थी के आधार पर अस्वीकार किया गया। प्रत्यर्थी ने रिट याचिका प्रस्तुत की, जिस पर उच्च न्यायालय ने उसको पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए निर्देशित किया।

इस न्यायालय में की अपील मे तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा कि पेंशन प्राप्त करने के लिए अर्हकारी सेवा की न्यूनतम सेवा अवधि 15 वर्ष है और विनियम 18 भारतीय बैंक कर्मचारी विनियम 1995 का जिसमें सेवा की खंडित अवधि मापन के प्रावधान, इसकी परिधी में नहीं आता है।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गयी और अभिनिर्धारित किया:

1.1 यह सत्य हो सकता है कि भारतीय बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के बहुत से प्रावधान जैसे कि विनियम 16, 17, 18, 19, 23

इत्यादि, अर्हंकारी सेवा का प्रावधान करते है। विनियम 18 उक्त किसी भी बताये गये प्रावधान से किसी प्रकार से नियन्त्रित नहीं होता है। इसकी समिति व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह केवल मापन का नियम प्रदान करता है। कर्मचारी पेंशन का हकदार होगा बशर्ते जब उसने सेवा का एक निश्चित काल पूर्ण कर दिया गया हो। ऐसी सेवा की अवधि की संगणना कैसे की जाए यह संविधि से नियन्त्रित होता है। यह एक बात कही जाती है कि एक संविधि 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूर्ण करने का प्रावधान करती है लेकिन यदि एक प्रावधान समयावधि का मापन प्रदान करता है, विनियम के ऐसे प्रा ावधान जो लाभकारी प्रवृति के है उदार अर्थ लगाना चाहिए को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो अन्यथा संविधि के लाभकारी प्रावधान के लाभ का हकदार है उसे साधारणतः वंचित नहीं किया जाना चाहिए। (पैरा 13 और 14) (5 75-ए सी 575 जी)

1.2 यह किसी हाल में, यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत यह न्यायालय विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करें। (पेरा 17)

आंध्रप्रदेश राज्य बनाम बुद्धु प्रकाश राव एवं अन्य (1976) 3 एससीसी 301 नाथी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता (2005)2 एससीसी 271 एवं ओएनजीसी लिमिटेड बनाम सेंधाभाई वस्त्रम पटेल एवं अन्य (2005) 6 एससीसी 454 संदर्भित किया गया है।

सिविल अपीलीय न्यायक्षेत्र: सिविल अपील संख्या 3989/2007

रिट पिटीशन संख्या 14744/2003 में मद्रास उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय आदेश दिनांक 4.7.2005 से।

अपीलांट की ओर से - राजू रामंचद्रन, गौलम अवस्थी एवं डी. महेश बाबू

प्रतिवादीगण की ओर से -एस. बालाकृष्णन एवं सुब्रमण्यम प्रसाद

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गयी।

2. "खंडित अवधि" शब्द का अर्थ जब स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना लागू करते समय पेंशन प्रदान करने का उसमें प्रश्न निहित हो।

3. प्रत्यर्थी अपीलांट बैंक में कार्य करता था। बैंक कर्मचारी को पेंशन देने के निबंधन व शर्ते भारतीय बैंक कर्मचारी के पंेशन विनियम 1995 (संक्षेप में विनियम 29 जिसे दिनांक 08.06.2002 को प्रभाव सें संशोधित किया गया) से शासित होती है।

"28. **अधिवार्षिकी/सेवानिवृति पेंशन**

अधिवार्षिकी पेंशन उस कर्मचारी को प्रदान की जायेगी जो सेवा विनियमों या बैंठकों में निर्दिष्ट सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत हो गया है।

बशर्ते है कि सितम्बर 2000 के प्रथम दिन से प्रभावी हो उस कर्मचारी को भी पेंशन प्रदान की जायेगी जो (अधिवार्षिकी) सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृति का चुनाव करें परन्तु उसने न्युनतम 15 वर्ष की सेवा प्रदान की हो ऐसी किसी योजना जो इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा सरकार की स्वीकृति के साथ बनी हो।"

4. बैक द्वारा दिनांक 09.11.2000 को एक स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना लायी गई । प्रत्यर्थी ने अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु निवेदन किया। जिसे आदेश दिनाक 10.02.2001 द्वारा स्वीकार किया गया। तब तक उसके द्वारा 14 वर्ष 9 माह 17 दिन की सेवा पुरी की जा चुकी थी। उसने पेंशन स्वीकृत कराने हेतु प्रार्थना पत्र लगाया कि वह उसके लिए योग्यता रखता था। यह इस आधार पर अस्वीकार की गयी कि उसने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की थी। एक रिट याचिका दाखिल की गयी जो मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल पीठ के न्यायाधीश द्वारा खारिज की गयी। उसके विरुद्ध एक आन्तरिक न्यायालय अपील उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा आलोच्य निर्णय के विरुद्ध सकारण स्वीकार की गयी।

"इस प्रकार रिट याचिका में विवादित आदेश को अपास्त करते हुये, हम प्रत्यर्थी को उपरोक्त विनियमों के अनुसार आईबीवीआरएस 2000 के अन्तर्गत पेंशन लाभ प्रदान करने का निर्देश देते है। पेंशन की बकाया राशि याचिकाकर्ता को देने योग्य है उसे ब्याज समेत दिया जावे। ब्याज के वितरण की दृष्टि से याचिकाकर्ता को पेंशन उसे सेवा से कार्यमुक्ति होने की दिनांक 10.02.2001 से ही यथाशीघ्र दी जानी चाहिये थी और क्योकि इसमें याचिकाकर्ता को कोई दोष नहीं था। उसे पेंशन के लाभ से वंचित रखा गया था। हम इस दृष्टिकोण के है कि याचिकाकर्ता बकाया पेंशन/अधिशेष पेंशन पर ब्याज निवृति दिनांक से उसके भुगतान तक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।"

5. अपीलांट की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचन्द्र ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में स्पष्ट त्रुटि की है। वह यह संज्ञान में लेने में विफल रहा है कि पेंशन प्राप्त करने के लिए अर्हकारी सेवा अवधि न्यूनतम 15 वर्ष है और विनियम 18 जो खंडित अवधि का प्रावधान करता है जो उसके परिधि क्षेत्र में नहीं आती है।

6. विनियम 28 विनियमों का सेवानिवृति अधिवार्षिकी के पेंशन परिलाभों का प्रावधान करता है। विनियम 29 मे एक कर्मचारी जो 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुका हो को स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए पर पेंशन का प्रावधान करता है। खण्ड (5) इस प्रकार है:-

> "इस विनियम के अन्तर्गत स्वैच्छिक रुप से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी की अर्हकरी सेवा अवधि में वृद्धि की जायेगी जो 5 वर्ष से अनधिक होगी। परिस्थितियों के अध्यधीन रहते हुये कि कुल अर्हंकारी सेवा अवधि किसी भी परिस्थिति में 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उसे यह अधिवार्षिकी सेवानिवृति की तिथि को पार नहीं करेगी।"

7. यद्यपि प्रत्यर्थी उक्त योजना की निबंधनों के अधीन सेवानिवृति/अधिवार्षिकी प्राप्त नहीं की। उसने स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के निबंधनों अधीन जहां एक्सग्रेसिया साठ दिनों के वेतन के बराबर देय था अन्य परिलाभों के अतिरिक्त जैसे ग्रेज्यूटी, भुगतान या छुट्टी लाभ जो निम्नलिखित है:-

1. ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी/सेवा ग्रेच्युटी जैसा की मामला है।

2. भारतीय बैंक कर्मचारी के पेंशन विनियमन 1995 बैंको के भविष्य निधि अंशदान के नियमों के अनुसार पेंशन (पेंशन के रुपान्तरित मूल्य सहित)

3. अवकाश का नगदीकरण नियमों के अनुसार

8. पेंशन से संबंधित मामलें पेशन विनियमन से शासित होते है।

9. हम संज्ञान कर सकते है कि यद्यपि बहुत सारे प्रावधान अर्हता सेवा के लिए बनाये जा चुके है जिस पर श्रीमान् राजू रामचन्द्रन द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिस तरीके से सेवा अवधि का मापन विनियम के विनियम 18 को शामिल करते हुये जो कि निम्नलिखित है -

> " सेवा की खंडित अवधि जो एक वर्ष से कम हो यदि कर्मचारी की सेवा अवधि में एक वर्ष से कम की खंडित सेवा अवधि शामिल है, यदि यह खंडित अवधि 6 माह से अधिक है तो इसे 1 वर्ष माना जायेगा। यदि यह अवधि 6 माह या उससे से कम है तो इस अनदेखा किया जायेगा।"

10. शब्द" ब्रोकन लाट" को ब्लैक के विधि शब्दकोश के छठे संस्करण के पेज 193 पर परिभाषित निम्न प्रकार किया है।

‘‘ ब्रोकन लाट‘‘ ‘‘विषम लाट‘‘ सामान्य मापन की ईकाई या बेचने की ईकाई से कम उदाहरण 100 अंश के भडार से कम‘‘

11. एक व्यक्ति को विशिष्ट सेवानिवृति/अधिवार्षिकी पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी होने के अलावा, साथ ही वह प्रो-राटा पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि उसने दस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है।

12. अपीलांट ने स्वयं 11.12.2000 को एक परिपत्र जारी किया था जिसका विषय निम्नलिखित है-

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना - बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 में संशोधन को संशोधित करती है।

कृपया हमारे परिपत्र संख्या च्क्ध्ब्प्त्ध्76ध्ळ2ध्933 दिनांक 31 अगस्त, 2000 का संदर्भ दिजिये जिसमें सरकार की कोई आपत्ति नहीं थी कि बैंक कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपनाने और लागू करने के लिए बैंकों की अनुमति दी जाए जैसा कि परिपत्र के संलग्नक में था।

योजना के अनुसार, एक कर्मचारी जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए योग्य है एवं उसके लिए आवेदन करता है, को नियमों के अनुसार

सीपीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी और एकत्रित विशेष छुट्टी की नकदीकरण की प्राप्त करने का हकदार होगा।

बैंक (कर्मचारियों) पेंशन विनियमन, 1995 में, सेवानिवृति अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त होने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पेंशन भुगतान करने संबंध में प्रावधान नहीं रखता है, विनियमन 29, 30, 32 और 33 में विवरणित परिस्थितियों के अलावा, विनियम 28 में संशोधन के रास्ते, उन कर्मचारियों को विचार में रखते हुये जो उपरोक्त अनुसार बैंको द्वारा बनायी विशेष तदर्थ योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत होते है एक निश्चित अवधि की सेवा अवधि कीे सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत होते है वे प्रो-राटा पेंशन के हकदार होते है।

भारत सरकार ने प्रस्ताव की जांच करने के बाद अपनी स्वीकृति दी है और इच्छा व्यक्त की है कि आईबीए बैंकों को अपने पेंशन विनियमनों में आवश्यक संशोधन करने के लिए सलाह दें। हम बैंकों से अनुरोध करते हैं कि वे इसे इसके अनुसार ध्यान में लें।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त संशोधनों के साथ, उन कर्मचारियों को यदि वे विशिष्ट अनुमोदन और निदेशक मंडल की विशेष स्वीकृति के साथ तैयार किए गए विशेष/तदर्थ योजना के तहत न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा प्रदान करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है वो

प्रो-राटा पेंशन के हकदार हो जैसे कि उन्हें उस दिनांक पर सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर प्रदान की जाती है।

13. यह सत्य हो सकता है कि विनियमनों के विभिन्न प्रावधान जैसे कि विनियमन 16, 17, 19, 23, आदि, अर्हंक सेवा के लिए प्रदान करते थे। नियम 18 में किसी भी से उल्लिखित विविध प्रावधानों में से कोई नियंत्रित नहीं है। यह ऐसे किसी निबंधनकारी प्रावधान को सहन नहीं करता है। यह केवल एक मापन के नियम को उपलब्ध कराता है। एक कर्मचारी, जिसे यहां दर्शाया गया है, केवल तब पेंशन के हकदार थे यदि उसने निर्धारित सेवानिवृत्ति अवधि पूरी की थी। सेवा की ऐसी अवधि, यह एक ऐसा कार्य है जिसे विधि द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। यह एक बात कहना है कि विधि पंद्रह वर्षों की न्यूनतम सेवा पूरी करने के लिए प्रदान करती है, लेकिन यदि कोई प्रावधान अवधि के मापन की प्रदान करता है, तो उसे ध्यान से नहीं गवाना चाहिए। हमारे विचार में प्रावधानों की विधियात्मक स्वभाव वाली प्रावधानों का उदार रूप से व्याख्या किया जाना चाहिए।

14. आंध्र प्रदेश राज्य बनाम बथु प्रकाश राव और अन्य, (1976) 3 एससीसी 301 में, इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है।

> "35. जिला न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहंुचें थे कि, इन तकनीकि रुप से निर्धारित परीक्षणों से श्रेणीकरण के उद्देश्य से अलग हो जाओ, विपणन और निरीक्षण निदेशालय

द्वारा, सामान्य ज्ञान परीक्षण यह था कि कम से कम 50 प्रतिशत टूटी हुई गठन के लिए होनी चाहिए। जिसे ‘‘टूटे हुये चावल‘‘ की विपणन योग्य खेप रुप में उत्तीर्ण किया जा सके। उन्होने यह भी कहा विदेशी मामलों के लिए छुट दी थी। हम यह नहीं सोचते है कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा जो परीक्षण अपनाया या तो गलत या अनुचित था। वास्तव में, हमें लगता है कि उच्च न्यायालय ने इस परीक्षण पर हस्तक्षेप करना पूरी तरह अनुचित था; यह हमारे लिए ऐसा लगता है कि इस तरह की मेटाफिजिकल तर्क से अपने दृष्टिकोण को सही ठहराने हमें दिखाई देता है। जहां सम्पूर्ण अनाज की मात्राऐं और टूटी हुयी आनाज की मात्राऐं एक खेप में सटी रुप से निर्धारित नहीं माना जाना चाहिए।खेप अब चावल में से कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए जिसके के परमीट की आवश्यकता है। विद्वान महाअधिवक्ता ने हमें सही बताया कि पहले ऐसा नहीं था। मिल मालिक के वाद में, केवल कुछ टूटे चावलों का मिश्रण पूरे चावलों की खेप बनाने के लिए पर्याप्त है। ताकि सम्पूर्ण परियोजना को खंडित चावल या ऐसी कोई पदार्थ नहीं माना जा सकता था जिसे अधिक कहा जाता है

नहीं था। हमारे अनुसार, उच्च न्यायालय ने यह गलती से यह दावा किया कि ऐसे मिश्रणों को नियंत्रण आदेश 1964 के द्वारा प्रदान की गई संकट में नहीं शामिल होने देते हैं।

इस प्रकार, एक व्यक्ति जो अन्यथा लाभकारी संविधियों के प्रावधान का हकदार है उसे उनके लाभ से वंचित सामान्य रुप से नहीं किया जाना चाहिए।"

15. श्री राजू रामचंद्रन ने इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें नाथी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता, (2005), 2 एससीसी 271 के अंतर्गत दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुये यह अभिनिर्धारित किया है।

"21. अनुच्छेद 14 ए या 14 डी धारा 14(1)(ई) इस अधिनियम के लिए अपवाद हैं। उक्त प्रावधानों में तत्काल कब्जा प्राप्त करने की परिकल्पना किरायेदार से की गई है।ं (1) सशस्त्र बल के सदस्यों द्वारा, (2) केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा जिन्होंने सेवानिवृत्त हो गए हैं या जो आगे सेवानिवृत्त हो जाएंगे और (3) जहां मकान मालिक विधवा हैं। सभी उपर्युक्त प्रावधान भूमि मालिक की तुरंत आवश्यकता का संकेत करते हैं।

22. धारा 14 क व धारा 14 घ में निहित प्रावधान मुख्य प्रावधान के अपवाद की प्रकृति के है, उनकी कठोर व्याख्या की जानी चाहिए।

हालांकि, हमारे विचार में, विनियमन 28 स्वयं में एक अपवाद प्रदान नहीं करता है। यदि यह एक मापन का नियम होना चाहिए है, ऐसा कोई कारण नहीं हो कि शाब्दिक व्याख्या स्वीकार योग्य नहीं हो।"

16. नाथी देवी (उपरोक्त), न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया-

"14. यह समान रुप से सुस्थापित है कि किसी संविधि की व्याख्या करते समय, विधायिका द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक शब्द के प्रभाव का प्रयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। न्यायालय हमेशा उपधारणा करते है कि विधायिक ने उसे वहां किसी उद्देश्य से डाला है विधायिका का आशय यह है कि संविधि का प्रत्येक भाग अपना प्रभाव रखता है। एक व्याख्या जो विधायन से इतर है उन्हे स्वीकार नहीं किया जायेगा सिवाय संरचनात्मक त्रुटियो जैसे बाध्यकारी कारण के।

15. यह सुस्थापित है कि संविधि की शाब्दिक निर्वचन की जानी चाहिए यदि जब तक मूर्खतापूर्ण नहीं हो।"

17. किसी भी हाल में, यह एक ऐसा मामला नहीं है जिससे हमें अनुच्छेद 136, भारत के संविधान के अन्तर्गत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाये। ओएनजीसी लिमिटेड बनाम सेंधाभाई वस्त्रम पटेल और अन्य, (2005), 6 एससीसी 454 में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है-

"अब यह सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जब अनु 226 व 32 संविधान के साम्यिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगें साथ ही उसके अनु 136 का प्रयोग समान रुप से उचित मामलों में ही कर सकता है। जब ऐसा क्षेत्राधिकार प्रयोग करते है, भारत में वरिष्ठ न्यायालय एक गलत आदेश को भी विखंडित नहीं कर सकते है। केवल जब तक ऐसा कानूनन करना आवश्यक नहीं हो। एक विवेकाधीन अनुतोष के लिए अपीलांट को मना किया जा सकता है, इस मामलें में यद्यपि न्यायालय कानून में ऐसा करना उचित पाता हो।"

एस.डी.एस शिपिंग (प्रा.) लिमिटेड बनाम जे कंटेनर सर्विसेज कंपनी (प्रा.) लिमिटेड देखें।

उपरोक्त कारणों के आधार पर, आलोप्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। अपील संवाद व्यय खारिज की जाती है। अधिवक्ता का शुल्क 25000/- निर्धारित किया जाता है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कुलदीप शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।